निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 131/2024
दायरा दिनांकः–01.10.2024
निर्णय दिनांकः– 28.4.25

उनवान

1. निरंजन आयु 45 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. हरिसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र गोरधन जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. मु0 बसन्ती बाई आयु 48 वर्ष पत्नि कजोड जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. मोरसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र कजोड जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. मु0 मोहनी बाई आयु 35 वर्ष पुत्री कजोड पत्नि राधेश्याम जाति किराड निवासी ग्राम वटवदापार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. मु0 गुल्लो बाई आयु 48 वर्ष पुत्री गोरधन पत्नि दुर्गालाल जाति किराड निवासी ग्राम टकोदिया तहसील बमोरी जिला गुना मध्यप्रदेश
6. राजकुमारी आयु 32 वर्ष पुत्री कजोड पत्नि राजू जाति किराड निवासी ग्राम शेखापुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 88,188,आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 28.4.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अजय श्रीवास्तव – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 237/1 रकबा 0.4300 हैक्टयर, वाके माल रूपारेल पटवार हल्का भूलोन तहसील छबड़ा जिला बारां राजस्थान में स्थित है जो प्रतिवादी कमांक 1 ता 6 के खातेदारी एव राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। जिसे आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया। विवादग्रस्त आराजी को वादी ने प्रतिवादीगण 1 ता 6 के पिता एंव दादा गोरधन पुत्र बलदेव जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल से जर्ये विकय पत्र दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

08/08/2005 को कय कर लिया था। तब से ही कय शुदा आराजी पर वादी बेहेसियत मालिक एंव काबिज काश्त चला आ रहा है तथा आज दिन तक बिना कोई रूकावट के निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। वाद पत्र के साथ जमाबंदी सम्वत 2075 2078 सलंग्न है। प्रतिवादी कम 1 ता 6 के पिता व दादा गोरधन पुत्र बलदेव किराड निवासी ग्राम रूपारेल का अर्सा करीब 15–16 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो जाने से विवादित आराजी का इन्तकाल प्रतिवादीगण 1 ता 6 के पक्ष मे तरदीक हो चुका है इस कारण से प्रतिवादीगण की नियत मे बदयानित आ गई है तथा प्रतिवादीगण उक्त विवाद ग्रस्त आराजी को अन्यत्र कही भी रहन, बेचान, दान आदि करने को आमादा है यदि प्रतिवादीगण अपनी इच्छा में कामयाब हो गये तो वादी को अनेकानेक दावो झगडो मे उलझना पडेगा। जिससे वादी को काफी आर्थिक क्षति होगी। वादी ने कई बार राजस्व कर्मचारियो से जर्ये विक्रय पत्र विवादग्रस्त आराजी का इन्तकाल वादी के नाम खोलने का निवेदन किया परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने इन्तकाल खोलने में असमर्थता जाहिर की। एवं आना कानी की। इस कारण से वादी के पास माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। वाद कारण अन्तिम बार दिनांक 03/08/2024 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि विवादित आराजी हमारे नाम है इस कारण हम उक्त आराजी को बेचान करेगे। यही वाद कारण उत्पन्न हुआ। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद मे सफल हुये तो वादी को अनेकानेक दावो झगडो मे उलझना पडेगा। इस कारण से वादी द्वारा यह वाद माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रूपारेल सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 98 प्रर्दश 1 नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2005 प्रर्दश 2 पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 निरंजन एवं PW2 गुलाब सिंह के बयान करायें गयें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रूपारेल तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। विवादित आराजी वादी ने प्रतिवादीगण के पिता एवं दादा गोरधन पुत्र बलदेव जाति किराड से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 08.08.2005 को क्रय की थी। तब से वादी काबिज काश्त चला आ रहा है प्रतिवादी के पिता व दादा गोरधन को लगभग 15–16 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया था। विवादित आराजी का फोती नामान्तरण प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 के पक्ष में तस्दीक किया गयाा। वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तरण नही खुलवा सका। प्रतिवादीगण के नाम विवादित आराजी दर्ज होने के कारण अन्यत्र रहन,बेचान,दान,करने पर आमादा है यदि प्रतिवादीगण द्वारा भूमि को दान,बेचान, कर दिया तो वादी को अपरिमित तथा आर्थिक क्षति होगी। वादी का वाद स्वीकार फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रूपारेल सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 98 के अनुसार प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज है नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.08.2005 के अनुसार गोरधन पुत्र बलदेव जाति किराड निवासी रूपारेल तहसील छबडा द्वारा खसरा नम्बर 237/1 रकबा 1.14 बीघा भूमि का बेचान निरंजन पुत्र प्रभुलाल जाति किराड निवासी रूपारेल को बेचान कर कब्जा दिया गया था। साक्ष्य वादी PW1 निरंजन एवं PW2 गुलाब सिंह के बयानों से भी कब्जा साबित होता है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान किया गया था परन्तु रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर वादी का नामान्तरण दर्ज नही हो पाया खातेदार की मृत्यु के बाद भूमि उसके वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिससे रजिस्टर्ड बेचान गलत साबित हो सके। प्रस्तुत वाद में वादी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर सद्भाविक क्रेता है तथा विवादित आराजी के खसरा नम्बर 327/1 रकबा 1.14 बीघा भूमि को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकार रखता है। अर्थात् प्रार्थी द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष स्वीकार किया जाना न्यायोचित है परन्तु प्रार्थी उक्त भूमि में सह खातेदार होने के कारण स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रूपारेल तहसील छबडा के खसरा नम्बर 237/1 रकबा 1.14 बीघा पर वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्वा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 131/2024	धारा ,88,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:– 28.04.2025

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादी:–श्री अजय श्रीवास्तव	अभिभाषक प्रतिवादी:–

वाद शीर्षक

उनवान

1. निरंजन आयु 45 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. हरिसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र गोरधन जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा
2. मु0 बसन्ती बाई आयु 48 वर्ष पत्नि कजोड जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. मोरसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र कजोड जाति किराड निवासी ग्राम रूपारेल तहसील छबडा
4. मु0 मोहनी बाई आयु 35 वर्ष पुत्री कजोड पत्नि राधेश्याम जाति किराड निवासी ग्राम बटवदापार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. मु0 गुल्लो बाई आयु 48 वर्ष पुत्री गोरधन पत्नि दुर्गालाल जाति किराड निवासी ग्राम टकोदिया तहसील बमोरी जिला गुना मध्यप्रदेश
6. राजकुमारी आयु 32 वर्ष पुत्री कजोड पत्नि राजू जाति किराड निवासी ग्राम शेखापुर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रूपारेल तहसील छबडा के खसरा नम्बर 237/1 रकबा 1.14 बीघा पर वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.04.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

	व्ययानुतोष		
		वादी	प्रतिवादी
1.	वैदक्षत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	कीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( )		
10.	योग		